[2018] 10 एस. सी. आर. 328

तानिया मलिक

वी.

दिल्ली के उच्च न्यायालय का सामान्य पंजीकरण

(2017 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 764)

फरवरी 16,2018

[अरुण मिश्रा और अमितावा रॉय, जे. जे.]

उपयुक्त हो जहाँ एक ही विषय के कई परीक्षक हों-जहाँ उम्मीदवारों की संख्या सीमित है और केवल एक परीक्षक मूल्यांकन करता है, यह माना जाना चाहिए कि मूल्यांकन में एकरूपता होगी तत्काल मामले में, यह विवादित नहीं है कि केवल एक ही विषय के परीक्षक हैं। परीक्षक ने एक विषय के एक ही भाग का मूल्यांकन किया था, इसलिए, मॉडरेशन की प्रक्रिया शुरू करना आवश्यक नहीं था-जहां तक उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का संबंध है, यह तय किया गया है।

कानून का प्रस्ताव है कि पुनर्मूल्यांकन के प्रावधान के अभाव में, यह आदेश नहीं दिया जा सकता है-तदनुसार, प्रश्नगत परीक्षा के लिए, परीक्षा के समय पुनर्मूल्यांकन के प्रावधान के अभाव में।

आयोजित किया गया था, इसका सहारा नहीं लिया जा सका-दिल्ली न्यायिक सेवा नियम, 1970-भारत का संविधान-Art.32।

न्यायिक सेवा-दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा, 2015-वाइवा वॉयस के लिए न्यूनतम अंक-तर्कसंगतता-इनमें से एक

याचिकाकर्ताओं को 37 प्रतिशत अंक दिए गए थे; जबकि वाइवा वॉस में आवश्यक न्यूनतम 45 प्रतिशत था-कुल 64 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था और 63 का चयन किया गया था-केवल उक्त याचिकाकर्ता को वाइवा वॉस परीक्षा में विफल घोषित किया गया था-याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि न्यायिक सेवाओं के वाइवा वॉस के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित करने का प्रावधान अनुचित है-आयोजितः तत्काल मामले में, 64 में से

348 तानिया मलिक बनाम। दिल्ली के उच्च न्यायालय का सामान्य पंजीकरण

उम्मीदवार, साक्षात्कार में केवल एक ही असफल हुआ है-यह, वास्तव में, पूर्वाग्रह नहीं दिखाता है, बल्कि इस तथ्य का संकेत है कि याचिकाकर्ता का प्रदर्शन ऐसा था कि चयन समिति के सबसे उदार होने के बावजूद, उक्त उम्मीदवार को न्यूनतम उत्तीर्ण अंक भी देना उचित नहीं लगा।

इसके अलावा, नियमों में, न्यूनतम कट ऑफ निर्धारित की गई है-इसमें ढील नहीं दी जा सकती थी और इसके अलावा, छूट नीति का विषय है और समग्र परिस्थितियों को देखते हुए, साक्षात्कार के महत्व, ढील नहीं देने के निर्णय को अनुचित नहीं कहा जा सकता है।

न्यायिक सेवा-दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा, 2015

- राउंड ऑफ द्वारा अंकों की वृद्धि-लागू या नहीं-के रूप में

प्रति विज्ञापन, उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए पात्र होने के लिए मुख्य परीक्षा में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत और प्रत्येक विषय में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की आवश्यकता थी-याचिकाकर्ताओं में से एक ने 49.9% अंक प्राप्त किए थे और अनुरोध किया था कि इसे 50 प्रतिशत तक पूरा किया जाए और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए-आयोजितः जब पात्रता के लिए एक विशेष समुच्चय निर्धारित किया जाता है, तो एक व्यक्ति को बिना योग्यता के मानदंडों को पूरा करना चाहिए।

छूट-न्यूनतम समुच्चय बनाने के लिए राउंड ऑफ विधि द्वारा अंकों को बढ़ाने की अनुमति नहीं है-इस प्रकार, सिद्धांत तत्काल मामले में साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले न्यूनतम कुल अंकों को प्राप्त करने की आवश्यकता को देखते हुए राउंडिंग ऑफ विधि लागू नहीं की जाएगी।

न्यायिक सेवा-दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा, 2015

- के अनुसार

- न्यूनतम कट-ऑफ अंक विज्ञापन को कम करने के लिए, उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत और प्रत्येक विषय में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की आवश्यकता थी। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए पात्र होना-याचिकाकर्ताओं में से एक ने व्यक्तिगत विषयों के न्यूनतम कट ऑफ अंकों को कम करने का अनुरोध किया

40 % 33 प्रतिशत तक क्योंकि वह केवल एक विषय में फेल हुई थी-आयोजितः लिखित पत्रों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निर्धारित करने में कोई गलती नहीं है।

यह किसी भी परीक्षा में हो सकता है कि एक व्यक्ति जिसे

बेहतर समुच्चय एक पेपर में अच्छी तरह से उचित नहीं हो सकता है और इसे 'विफल' घोषित किया जा सकता है-यह छूट का आदेश देने या मूल्यांकन प्रक्रिया की शुद्धता पर संदेह करने का आधार नहीं हो सकता है।

हस्तक्षेप।

8] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए, अदालत ने पकड़नाः क्या संयम का आदेश देने की आवश्यकता है।

1.1 मूल्यांकन में एकरूपता लाने के लिए मॉडरेशन एक उपयुक्त तरीका है। जब कई परीक्षक हाथ से उत्तर का मूल्यांकन करें-एक ही विषय के संबंध में संबंधित/पारंपरिक प्रकार के प्रश्न पत्रों की लिपियों का मूल्यांकन करें, परीक्षक की परिवर्तनशीलता को कम करने के लिए एक विधि के रूप में संयम अपनाया जाता है। [पैरा 12] [358-ए-बी]

1.2 संजय सिंह मामले में इस अदालत ने जहां एक ही विषय के कई परीक्षक हैं, वहां उचित होने के लिए मध्यस्थता निर्धारित की है। यह भी देखा गया है कि जहां उम्मीदवारों की संख्या सीमित है और केवल एक परीक्षक मूल्यांकन करेगा, यह माना जाना चाहिए कि मूल्यांकन में एकरूपता होगी। यही वह जगह है जहाँ कई परीक्षक एक ही विषय का मूल्यांकन करते हैं। औसत अंकों और दिए गए अंकों की सीमा में अंतर होता है। एक 'बाज-कबूतर' प्रभाव होता है। कुछ परीक्षक उदार होते हैं और वे अधिक अंक प्रदान करते हैं; कुछ परीक्षक सख्त होते हैं और वे कम अंक देते हैं, इसे नियंत्रित किया जा सकता है। कठोरता और उदारता के स्तर में भिन्नता हो सकती है। यह व्यक्तिपरकता या परिवर्तनशीलता को दूर करने के लिए है कि संयम का प्रावधान अपनाया जाता है। यह तत्काल मामले में स्थिति नहीं है, इसलिए, संजय सिंह मामले में निर्णय समर्थन करने के बजाय मध्यस्थता की याचिका को नकारता है।

याचिकाकर्ताओं। तत्काल मामले में यह विवादित नहीं है कि केवल एक परीक्षक ने एक विषय के एक ही भाग का मूल्यांकन किया था। संयम की प्रक्रिया शुरू करना आवश्यक नहीं था। [पैरा 13 और 14] [361-सी-डी; 362-ई-एफ]

उत्तर-लिपियों का पुनर्मूल्यांकन

2. यह कानून का तय प्रस्ताव है कि प्रावधान के अभाव में इसका आदेश नहीं दिया जा सकता है। मुकेश ठाकुर मामले में यह था

यह निर्धारित किया गया कि पुनर्मूल्यांकन के प्रावधान के अभाव में इसका सहारा नहीं लिया जा सकता है और वे टिप्पणियां जो सी. पी. आई. एल. v. के मामले में की गई थीं। दिल्ली उच्च न्यायालय के मामले के महापंजीयक ने यह निर्णय 2016 में परीक्षा के बाद दिया था।

पहले से ही आयोजित किया जा चुका है, इसलिए परीक्षा आयोजित होने के बाद पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान शुरू नहीं किया जा सकता था। पुनर्मूल्यांकन के प्रावधान के अभाव में विचाराधीन परीक्षा के लिए तानिया मलिक बनाम।

दिल्ली के उच्च न्यायालय का सामान्य पंजीकरण

जब परीक्षा आयोजित की गई थी, तो इसका सहारा नहीं लिया जा सका था। [पैरा 15] [362-एफ-जी; 364-डी-ई]

मौखिक परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों का प्रिस्क्रिप्शन

3.1 साक्षात्कार लेना वांछनीय है और यह आवश्यक है।

जिला न्यायाधीश के पद पर उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति होने पर इसके लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निर्धारित करना। साक्षात्कार प्रदर्शन, समग्र व्यक्तित्व और वास्तविक कार्य ज्ञान और क्षमता को निर्धारित करने का सबसे अच्छा तरीका है अन्यथा प्रदर्शन का मानक

न्यायपालिका से समझौता होने की संभावना है। एक लिखित परीक्षा केवल शैक्षणिक ज्ञान का परीक्षण करती है, जो कुछ समय के लिए समग्र गुणों, अभ्यास और कानून के व्यावहारिक अनुभव के बिना प्राप्त किया जाता है। [पैरा 17] [367-जी-एच; 368-ए]

3.2 यह आग्रह किया गया कि 64 उम्मीदवारों में से केवल एक उम्मीदवार साक्षात्कार में विफल रहा है। यह, वास्तव में, पूर्वाग्रह को नहीं दर्शाता है, बल्कि इस तथ्य का संकेत है कि

याचिकाकर्ता ऐसा था कि समिति के सबसे उदार होने के बावजूद, उसे उक्त उम्मीदवार को न्यूनतम उत्तीर्ण अंक भी देना उचित नहीं लगा। समिति द्वारा अंक दिए जाने को अनुचित नहीं कहा जा सकता है। नियमों में तत्काल मामले में, न्यूनतम कटौती निर्धारित की जाती है। इसमें ढील नहीं दी जा सकती थी और इसके अलावा, छूट नीति का विषय है और समग्र परिस्थितियों को देखते हुए, साक्षात्कार के महत्व, आराम न करने के निर्णय को अनुचित नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 18] [368-जी-एच; 369-ए-डी]

के. एच. सिराज बनाम केरल उच्च न्यायालय और अन्य। [2006] 2 पूरक। एससीआर 790: (2006) 6 एस. सी. सी. 395-पर निर्भर।

निशानों को पूरा करना

5. जब पात्रता के लिए एक विशेष समुच्चय निर्धारित किया जाता है, तो एक व्यक्ति को बिना किसी छूट के मानदंडों को पूरा करना चाहिए। यह नहीं है।

न्यूनतम समुच्चय बनाने के लिए राउंड ऑफ विधि द्वारा अंकों को बढ़ाने की अनुमति है। इस प्रकार प्राप्त करने की आवश्यकता को देखते हुए राउंडिंग ऑफ विधि के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सका। तत्काल मामले में साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले न्यूनतम कुल अंक। [पैरा 20 और 22] [371-डी; 373-डी] [2018] 10 एस. सी. आर.

6. प्रत्येक पेपर में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निर्धारित किए जा सकते थे और यह बिल्कुल आवश्यक है ताकि विभिन्न विषयों में शैक्षणिक ज्ञान का निर्धारण करें। केवल सामान्य ज्ञान और भाषा के पेपर में उच्चतम अंक प्राप्त करने से मदद नहीं मिलने वाली है। अन्य विषयों, सिविल और आपराधिक कानून में न्यूनतम ज्ञान भी आवश्यक था और यह इसके विपरीत भी सच है, और यही कारण है कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निर्धारित किए गए थे और 40 प्रतिशत का निर्धारण काफी उचित और उचित था और इस न्यायालय के लिए इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। लिखित पत्रों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निर्धारित करने में कोई गलती नहीं है। यह किसी भी परीक्षा में हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है

बेहतर समुच्चय होना किसी एक पेपर में उचित नहीं हो सकता है और इसे 'विफल' घोषित किया जा सकता है। यह छूट का आदेश देने या मूल्यांकन प्रक्रिया की शुद्धता पर संदेह करने का आधार नहीं हो सकता है। उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के अंक दिखाए गए, यह स्पष्ट हो गया कि पेपर सामान्य ज्ञान और भाषा में उम्मीदवार का प्रदर्शन सिविल और आपराधिक पेपरों में प्रदर्शन की तुलना में कहीं बेहतर था। इस प्रकार जब एक एकल परीक्षक ने मूल्यांकन किया है, तो सभी उम्मीदवारों के लिए एक ही मापदंड लागू किया गया है। हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। [पैरा 23] [373-एफ-जी; 374-ए-बी]

अजितकुमार पी. और अन्य। वी. रेमिन के. आर. और अन्य। (2015) 16

एस. सी. सी. 778-लागू नहीं होता है।

सुजाशा मुखर्जी बनाम माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता और ओआरएस। [2015] 2 एससीआर 480: (2015) 11 एस. सी. सी. 395; हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम। मुकेश ठाकुर और अन्र। [2010] 7 एससीआर 189: (2010) 6 एस. सी. सी. 759; पंजीयक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर बनाम। जी. हेमलता और अन्य। [2012] 8 एससीआर 157: (2012) 8 एस. सी. सी. 568; उड़ीसा लोक सेवा आयोग और अन्र। वी. रूपश्री चौधरी

और एन. आर. , [2011] 9 एससीआर 748: (2011) 8 एससीसी 108 -

संदर्भित किया गया।

तानिया मलिक बनाम। दिल्ली के उच्च न्यायालय का सामान्य पंजीकरण

मामला कानून संदर्भ

अप्रयोज्य रखा गया

(2015) 16 एस. सी. सी. 778

पै

रा 10

[2015] 2 एससीआर 480

संदर्भित किया गया है

पै

रा 14

[2010] 7 एससीआर 189

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15

[2006] 2 पूरक। एससीआर 790

उस पर भरोसा करें

पै

रा 16

[2012] 8 एससीआर 157

पै

रा 21

संदर्भित किया गया है

[2011] 9 एससीआर 748

संदर्भित किया गया है

पै

रा 21

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लिखित याचिका (सिविल) सं।

764 2017 का

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

के साथ

डब्ल्यू. पी. (ग) सं. 996,896,831,832,885,938,1046,1063 और 1081

2017 का

डब्ल्यू. पी. (ग) 2018 की सं. 39।

आर. एस. सूरी, आर. बसंत, संजय हेगड़े, राजू रामचंद्रन,

श्री एड. , कुलबीर सिंह मलिक, संदीप कालिया, सुश्री नबिला हसन, लुगमैन एस. हसन (डॉ. सुशील बलवाड़ा के लिए), नचिकेता जोशी, अविरल कश्यप, सुश्री रेशमी रिया सिन्हा, परवीन कुमार अग्रवाल, संजय जैन, सुश्री जैस्मीन दामकेवाला, पर्सिवल बिल्लौरिया, विक्रम सिंह, सुश्री किम्पोक लोया, राजीव शर्मा, दीपक गोयल, कमल कुमार पांडे, प्रदीप गुप्ता, प्रवीण गुप्ता, सुश्री मानसी गुप्ता, संजय चक्रवर्ती, वजीर सिंह मलिक (डॉ. (श्रीमती) विपिन गुप्ता के लिए), प्रशांत भूषण, सुश्री नेहा राठी, प्रमित सक्सेना, राहुल अग्रवाल, अमित प्रताप सिंह, अन्नम डी. N.Rao, ए. वेंकटेश, सुदिप्तो सरकार, राहुल मिश्रा, सुश्री तुलिका चिक्कर, ईश्वर मोहंती, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अरुण मिश्रा, जे. 1. रिट याचिकाएँ इसके तहत दायर की गई हैं

भारत के संविधान का अनुच्छेद 32, दिल्ली न्यायिक सेवा, 2015 परीक्षा पर सवाल उठाता है, जिसके लिए 3.10.2015 पर एक विज्ञापन जारी किया गया था। 100 रिक्तियों का विज्ञापन किया गया था। जाँच होनी थी

वाइवा वॉस के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए दो चरणों-प्रारंभिक, उसके बाद-मुख्य परीक्षा (लिखित) में आयोजित किया जाता है। विज्ञापित 100 पदों में से 68 सामान्य श्रेणी के थे; एससी 12; एसटी 20; उनमें से 41,7 और [2018] 10 एस. सी. आर.

17 संबंधित श्रेणियों की बैकलॉग रिक्तियां थीं। दो रिक्तियां शारीरिक रूप से विकलांग (नेत्रहीन/कम दृष्टि) के लिए और दो रिक्तियां शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों (ऑर्थो) के लिए आरक्षित थीं। नियुक्तियाँ डब्ल्यू. पी. के परिणाम के अधीन होनी थीं। (ग) सं. 514

2015 और 2013 का सी. ए. No.1086 इस न्यायालय और डब्ल्यू. पी. में लंबित है। (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित 2010 का सं. 2828।

2. 2017 की रिट याचिका [सी] No.764 में-तानिया मलिक बनाम। दिल्ली उच्च न्यायालय के महापंजीयक ने अनुरोध किया है कि व्यक्तिगत विषयों के न्यूनतम कट ऑफ अंकों को 40 प्रतिशत से घटाकर 33 प्रतिशत किया जाए और वैकल्पिक रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय को साक्षात्कार के लिए बुलाने के मानदंडों में ढील देने का निर्देश दिया जाए।

3. याचिकाकर्ता ने आग्रह किया है कि मुख्य परीक्षा का परिणाम 12.7.2017 पर घोषित किया गया था। आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में 8534 उम्मीदवारों में से 914 ने इसे पास किया और वे मुख्य परीक्षा में शामिल हुए। विज्ञापन के अनुसार, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के योग्य होने के लिए उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत और प्रत्येक विषय में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की आवश्यकता थी। मुख्य परीक्षा का परिणाम 12.7.2017 पर घोषित किया गया था और केवल 64 छात्रों, सामान्य श्रेणी से 58 और आरक्षित श्रेणी से 6 का चयन मौखिक परीक्षा के लिए किया गया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि आम तौर पर एक साक्षात्कार के लिए, पिछली प्रथा से स्पष्ट रूप से अधिसूचित सीटों की संख्या की तुलना में तीन गुना अधिक पदधारियों को बुलाया जाता है। याचिकाकर्ता ने

न्यूनतम योग्यता अंकों को 40 प्रतिशत के बजाय 33 प्रतिशत तक तर्कसंगत बनाने के लिए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। हालांकि आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई।

4. डब्ल्यू. पी. में 2017 की [सी] No.832 प्रार्थना की गई है कि उक्त परीक्षा के सभी पत्रों के पुनर्मूल्यांकन को एक स्वतंत्र द्वारा निर्देशित किया जाए।

इस न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति। याचिकाकर्ता की मुख्य परीक्षा के आपराधिक कानून के उत्तर पत्र के पुनर्मूल्यांकन का निर्देश देने के लिए वैकल्पिक प्रार्थना की गई है। संजय सिंह और अन्न मामले में इस अदालत के फैसले के आलोक में 2015 की परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों में संयम लाने की भी प्रार्थना की गई है। वी. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद और अन्न। (2007) 3 एस. सी. सी. 720, और दिल्ली न्यायिक सेवा नियमों के नियम 15 के तहत प्रदान किए गए प्रत्येक लिखित पत्र में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के लिए वाइवा वॉस के लिए बुलाने के मानदंड को रद्द करने के लिए,

1970. यह अनुमान लगाया गया है कि आपराधिक कानून के पेपर में केवल 24 उम्मीदवारों की एक छोटी संख्या 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर सकी, प्रथम दृष्टया तानिया मलिक बनाम।

दिल्ली के उच्च न्यायालय के पंजीयक जनरल [अरुण मिश्रा, जे.]

ऐसा प्रतीत होता है कि आपराधिक कानून के पेपर को बहुत सख्ती से चिह्नित किया गया है और दिए गए अंक उम्मीदवारों के वास्तविक प्रदर्शन को नहीं दर्शाते हैं।

5. डब्ल्यू. पी. में 2017 की [सी] No.996-सुश्री स्वाति गुप्ता बनाम। दिल्ली उच्च न्यायालय के महापंजीयक ने इसे रद्द करने का अनुरोध किया है।

परीक्षा का परिणाम और प्रश्नपत्रों के पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रार्थना की गई है। याचिकाकर्ता ने 49.9% अंक प्राप्त किए हैं। उन्होंने प्रार्थना की है कि इसे 50 प्रतिशत तक पूरा किया जाए जैसा कि सामान्य रूप से किया जाता है और उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना चाहिए।

6. 2017 के डब्ल्यू. पी. [सी] संख्या 1081 में-नवीन बनाम। दिल्ली उच्च न्यायालय के महापंजीयक ने परिणाम को रद्द करने का अनुरोध किया है

जहां तक याचिकाकर्ता को मौखिक परीक्षा में अयोग्य घोषित किया गया है और उसे अपनी आरक्षित श्रेणी में उपलब्ध खाली पद पर चयन के लिए योग्य घोषित करना या नए मौखिक परीक्षा आयोजित करना और न्यायिक सेवाओं के मौखिक परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित करने का प्रावधान अनुचित है। याचिकाकर्ता को 37 प्रतिशत अंक दिए गए हैं; जबकि वाइवा वॉस में आवश्यक न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक थे। कुल 64 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था, जबकि 100 रिक्तियों के लिए विज्ञापन दिया गया था और 63 का चयन किया गया था। केवल याचिकाकर्ता को मौखिक परीक्षा में असफल घोषित किया गया था। उच्च न्यायालय को साक्षात्कार के लिए अंकों में ढील देनी चाहिए थी। बाकी याचिकाओं में, राहत की प्रार्थना की गई

यह कमोबेश उपरोक्त रिट याचिकाओं के समान है।

7. दिल्ली उच्च न्यायालय के महापंजीयक द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में यह तर्क दिया गया है कि प्रक्रिया में भाग लेने के बाद

भाग ए और भाग बी. एक अलग व्यक्तिगत परीक्षक ने सभी पेपरों के प्रत्येक भाग की जांच की। प्रत्येक भाग के लिए कई परीक्षक नहीं थे। न्यूनतम 40 प्रतिशत और 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक था। चार पेपरों में से प्रत्येक में; भाग ए और भाग बी का कुल, और सभी पेपरों में कुल मिलाकर क्रमशः कम से कम 50 प्रतिशत और 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना।

अगले चरण यानी वाइवा वॉस के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए चार पेपर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. यह भी अनुरोध किया जाता है कि उम्मीदवारों की संख्या को कॉल करना लिखित में योग्य उम्मीदवारों की संख्या पर निर्भर करेगा।

जाँच। अयोग्य उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जा सकता था। वरिष्ठ-दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के अधिकांश अधिकारी परीक्षा पत्रों की स्थापना और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार थे। चूंकि एक अलग व्यक्तिगत परीक्षक ने मूल्यांकन किया था, इसलिए याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई मांग के अनुसार मॉडरेशन/रैशनलाइजेशन का सवाल ही नहीं उठा। उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए अपनाई जाने वाली प्रथा यह है कि अनुक्रमांक को परीक्षक से गुप्त रखा जाता है। उत्तर पुस्तिका के पहले पृष्ठ के दोनों तरफ एक कोड संख्या लिखी जाती है। परिणाम घोषित होने के बाद याचिकाकर्ता को उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियां प्रदान की गईं।

सीपीआईएल बनाम। डब्ल्यू. पी. में दिल्ली उच्च न्यायालय के महापंजीयक [सी]

2015 की धारा 1 के अनुसार, इस न्यायालय द्वारा दिए गए सुझावों को भविष्य की परीक्षाओं के लिए ध्यान में रखा जाना था। मुख्य परीक्षा आयोजित होने के बहुत बाद 26.7.2016 पर आदेश पारित किया गया था। के तौर-तरीके

उक्त मामले में इस न्यायालय के निर्णय से बहुत पहले जांच की गई थी। अतः उक्त निर्णय को लागू करना संभव नहीं था। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई प्रक्रिया या प्रावधान नहीं है।

9. नवीन बनाम के मामले में। महापंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय, डब्ल्यू. पी. 2017 का [सी] No.1081 यह रुख अपनाया गया है कि वाइवा वॉस में 150 अंक होते हैं; सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सेवा में नियुक्ति के लिए सिफारिश के लिए पात्र होने के लिए 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए। वाइवा वॉयस में प्राप्त अंकों को मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ा जाना था ताकि सफल उम्मीदवारों की योग्यता की स्थिति निर्धारित की जा सके। उम्मीदवार। याचिकाकर्ता ने 150 में से केवल 55 अंक प्राप्त किए, यानी 37 प्रतिशत, इसलिए, सेवा में नियुक्ति के लिए अनुशंसित होने के योग्य नहीं था। भले ही सभी रिक्तियों को भरा नहीं जा सका, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि साक्षात्कार के लिए निर्धारित 45 प्रतिशत अंकों की कट ऑफ को हटा दिया जाना चाहिए। कट ऑफ अंकों के निर्धारण को मनमाना या अनुचित नहीं कहा जा सकता है। वाइवा-वॉस उम्मीदवारों की क्षमता/व्यक्तित्व, धारणा और उपयुक्तता का आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

10. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील ने आग्रह किया कि लिखित पत्र में 40 प्रतिशत कट ऑफ अंक निर्धारित करना उचित नहीं था। यहां तक कि जिन उम्मीदवारों ने उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं, वे एक पेपर में आवश्यक न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं कर सके और एक झटके से चूक गए, यानी तानिया मलिक बनाम।

दिल्ली के उच्च न्यायालय के पंजीयक जनरल [अरुण मिश्रा, जे.]

एक निशान। आपराधिक कानून के पेपर पर अनुचित रूप से कठोर अंकन किया गया था।

कुछ ही उम्मीदवार 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर सके। यह तर्क के लिए नहीं लगता है कि जिस उम्मीदवार ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं

कुल मिलाकर, एक पत्र में विफल हो जाएगा, इस प्रकार मामला संजय सिंह (उपरोक्त) और अजितकुमार पी. एंड में आयोजित मध्यस्थता को निर्देशित करने के लिए उपयुक्त है।

बंद कर दें। एक उम्मीदवार जो कुल के लिए निर्धारित न्यूनतम से कम अंक प्राप्त करता है, उसे राउंड ऑफ की प्रक्रिया द्वारा साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जा सकता था। आरक्षित श्रेणी के लिए कम अंक निर्धारित किए गए थे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की तुलना में उम्मीदवार। सामान्य श्रेणी के लिए, साक्षात्कार में उत्तीर्ण अंक 50 प्रतिशत थे जबकि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए उत्तीर्ण अंक 45 प्रतिशत थे।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12. सबसे पहले हम इस सवाल पर विचार करते हैं कि क्या संयम की आवश्यकता है। मूल्यांकन में समता लाने के लिए मितव्ययिता एक उपयुक्त विधि है। जब कई परीक्षक हाथ से मूल्यांकन करते हैंईआर-एक ही विषय के संबंध में संबंधित/पारंपरिक प्रकार के प्रश्न पत्रों की लिपियों को कम करने के लिए एक विधि के रूप में संयम अपनाया जाता है।

इनर की परिवर्तनशीलता। निर्देश जारी करने के उद्देश्य से

इस न्यायालय के निर्णय पर राशन निर्भरता रखी गई है

y सिंह (ऊपर) जिसमें यह देखा गया थाः

परीक्षण में, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में एकरूपता और निरंतरता होना आवश्यक है। जहाँ परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या सीमित है और केवल एक परीक्षक है (अधिमानतः पेपर-सेटर स्वयं) उत्तर-लिपियों का मूल्यांकन करता है, यह माना जाना चाहिए कि मूल्यांकन में एकरूपता होगी। लेकिन जहां बड़ी संख्या में उम्मीदवार परीक्षा देते हैं, वहां एक ही परीक्षक द्वारा मूल्यांकन की गई सभी उत्तर-लिपियों को प्राप्त करना संभव नहीं होगा। इसलिए, मूल्यांकन के लिए कई परीक्षकों के बीच उत्तर-लिपियों को वितरित करना आवश्यक हो जाता है, जिसमें पेपर-सेटर (या अन्य वरिष्ठ व्यक्ति) प्रमुख परीक्षक के रूप में कार्य करता है। जब एक से अधिक परीक्षक उत्तर का मूल्यांकन करते हैं-संबंधित लिपियाँ

किसी विषय के लिए, संबंधित परीक्षक की व्यक्तिपरकता उसके द्वारा मूल्यांकन के लिए आवंटित उत्तर पुस्तिकाओं को दिए गए अंकों में प्रवेश करेगी। प्रत्येक परीक्षक अपना पैमाना लागू करेगा

उत्तर का आकलन करें-स्क्रिप्ट। इसलिए अनिवार्य रूप से, तब भी जब अनुभवी परीक्षकों को उत्तर पुस्तिकाओं के समान बैच प्राप्त होते हैं, औसत अंकों और अंकों की सीमा में अंतर है

प्रदान किया जाता है, जिससे व्यक्तिगत उम्मीदवारों की योग्यता प्रभावित होती है। इसके अलावा, 'हॉक-डव' प्रभाव होता है। कुछ परीक्षक मूल्यांकन में उदार होते हैं और अधिक अंक देने की प्रवृत्ति रखते हैं। कुछ परीक्षक सख्त होते हैं और कम अंक देते हैं। कुछ अंक देने में मध्यम और संतुलित हो सकते हैं। यहां तक कि जो उदारवादी हैं या जो सख्त हैं, उनमें भी सख्ती या उदारता के स्तर में भिन्नता हो सकती है। इसका मतलब है कि यदि एक ही उत्तर-लिपि अलग-अलग परीक्षकों को दी जाती है, तो अलग-अलग अंक दिए जाने की पूरी संभावना है। यदि एक बहुत अच्छी तरह से लिखित उत्तर-स्क्रिप्ट एक सख्त परीक्षक के पास जाती है और एक औसत दर्जे का उत्तर-स्क्रिप्ट एक उदार परीक्षक के पास जाता है, तो औसत दर्जे का उत्तर-स्क्रिप्ट को उत्कृष्ट उत्तर-स्क्रिप्ट की तुलना में अधिक अंक दिए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, आई. ए. ए. मलिक वी. है।

दिल्ली के उच्च न्यायालय के पंजीयक जनरल [अरुण मिश्रा, जे.]

' एक सख्त परीक्षक द्वारा मूल्यांकन में कमी और एक उदार परीक्षक द्वारा मूल्यांकन में वृद्धि। इसे 'परीक्षक परिवर्तनशीलता' या 'हॉक-डव प्रभाव' के रूप में जाना जाता है। इसलिए, परीक्षकों के बीच एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करने की आवश्यकता है ताकि 'परीक्षक व्यक्तिपरकता' या 'परीक्षक परिवर्तनशीलता' का प्रभाव न्यूनतम होता है। परीक्षक की व्यक्तिपरकता या परिवर्तनशीलता को कम करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को मॉडरेशन के रूप में जाना जाता है। क्लासिक विधि

संयम इस प्रकार हैः

(i) विषय का पेपर-सेटर आम तौर पर विषय के लिए प्रमुख परीक्षक के रूप में कार्य करता है। उनका चयन वरिष्ठ शिक्षाविदों/विद्वानों/वरिष्ठ सिविल सेवकों/न्यायाधीशों में से किया जाता है। जहां बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के मामले में, एक से अधिक परीक्षक नियुक्त किए जाते हैं और उनमें से प्रत्येक को मूल्यांकन के लिए लगभग 300 उत्तर-पत्र आवंटित किए जाते हैं।

((ii) मूल्यांकन में एकरूपता प्राप्त करने के लिए, जहां एक से अधिक परीक्षक शामिल होता है, परीक्षा के तुरंत बाद सभी परीक्षकों के साथ प्रमुख परीक्षक की एक बैठक आयोजित की जाती है। वे चर्चा करते हैं।

प्रश्न पत्र, संभावित उत्तर और उत्तरों के विभिन्न पहलुओं को पूरी तरह से महत्व दिया जाना चाहिए। वे अपनी चर्चाओं के आलोक में एक नमूना मूल्यांकन भी करते हैं।

उनमें से प्रत्येक द्वारा लिपियों के नमूना मूल्यांकन की समीक्षा प्रमुख परीक्षक द्वारा की जाती है और अंक निर्धारित करने में भिन्नताओं पर आगे चर्चा की जाती है। इस तरह की चर्चाओं के बाद, अपनाए जाने वाले मूल्यांकन के मानदंडों के संबंध में आम सहमति बन जाती है। उस आधार पर, परीक्षकों को उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा करना आवश्यक है। लेकिन यह अपने आप में परीक्षकों के बीच मूल्यांकन की एकरूपता नहीं लाता है। मानकों पर सहमति होने के बावजूद, कई

परीक्षक अपेक्षित या सहमत मानदंडों से विचलित हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सावधानी मूल्यांकन के दौरान सख्ती या उदारता या कामुकता या लापरवाही के लिए उनकी प्रवृत्ति से आगे निकल जाती है। इसलिए, कुछ और सुधारात्मक कदम आवश्यक हो जाते हैं।

(iii) परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन पूरा होने के बाद, प्रमुख परीक्षक ठीक किए गए लोगों का यादृच्छिक नमूना सर्वेक्षण करता है।

यह सत्यापित करने के लिए कि क्या परीक्षक की बैठकों में विकसित मानदंडों का वास्तव में परीक्षकों द्वारा पालन किया गया है। यादृच्छिक नमूनाकरण की प्रक्रिया में आम तौर पर कुछ शीर्ष-स्तरीय उत्तर लिपियों की जांच और यादृच्छिक [2018] 10 एस. सी. आर. पर चुनी गई कुछ उत्तर पुस्तिकाएँ शामिल होती हैं।

प्रत्येक परीक्षक द्वारा मूल्यवान उत्तर लिपियों के बैचों से। प्रत्येक परीक्षक की शीर्ष-स्तरीय उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन प्रमुख परीक्षक द्वारा किया जाता है जो एकरूपता प्राप्त करने के लिए अंकों के पुरस्कार में ऐसे सुधार या परिवर्तन करता है जिन्हें वह अपने निर्णय में सबसे अच्छा मानता है। (इस उद्देश्य के लिए, यदि आवश्यक हो तो प्रत्येक परीक्षक के मूल्यांकन के संबंध में विभिन्न अंकों की सीमा में उम्मीदवारों का वितरण, अंकों का औसत प्रतिशत, अंकों का उच्चतम और न्यूनतम पुरस्कार आदि जैसे कुछ आंकड़े भी तैयार किए जा सकते हैं।)

(iv) प्रत्येक परीक्षक द्वारा अपनाए गए मानकों का निर्धारण या मूल्यांकन करने के बाद, प्रमुख परीक्षक अंकों के पुरस्कार की पुष्टि कर सकता है। बिना किसी परिवर्तन के यदि परीक्षक ने सहमत मानदंडों का पालन किया है, या ऊपर या नीचे मॉडरेशन का सुझाव दिया है, तो

अंकन में उदारता या सख्ती की डिग्री के अनुसार संयम भिन्न होता है। प्रमुख परीक्षक द्वारा पुनर्मूल्यांकन की गई शीर्ष स्तर की उत्तर पुस्तिकाओं के संबंध में, उनके अंकों के पुरस्कार को अंतिम के रूप में स्वीकार किया जाता है। जहां तक शीर्ष स्तर से नीचे की अन्य उत्तर पुस्तिकाओं का संबंध है, परीक्षकों के बीच एकरूपता के अधिकतम माप को प्राप्त करने के लिए, पुरस्कारों को प्रमुख परीक्षक द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। (v) यदि प्रमुख परीक्षक की राय में किसी भी परीक्षक द्वारा अनियमित या लापरवाही से अंकन किया गया है, जिसके लिए कोई मानक मॉडरेशन करना संभव नहीं है, तो ऐसे परीक्षक द्वारा मूल्यवान उत्तर लिपियों का या तो प्रमुख परीक्षक या किसी अन्य परीक्षक द्वारा पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, जिन्होंने सहमत मानदंडों का पालन किया है।

(vi) जहां उम्मीदवारों की संख्या बहुत अधिक है और

परीक्षकों की संख्या बहुत है, एक प्रमुख परीक्षक के लिए सभी परीक्षकों के काम का आकलन करना मुश्किल हो सकता है। ऐसी स्थिति में, परीक्षकों का एक और स्तर शुरू किया जाता है। हर दस या बीस के लिए परीक्षकों, एक प्रमुख परीक्षक होगा जो उपरोक्त यादृच्छिक नमूनों की जांच करेगा। मुख्य परीक्षकों के काम की, बदले में, उचित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए एक मुख्य परीक्षक द्वारा जाँच की जाती है।

'संयम' की उपरोक्त प्रक्रिया काफी एकरूपता और निरंतरता लाएगी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि निरपेक्ष जहां कई परीक्षक हैं और प्रयास केवल प्राप्त करने के लिए है, मूल्यांकन में एकरूपता या निरंतरता प्राप्त करना असंभव है।

अधिकतम एकरूपता।

तानिया मलिक बनाम। दिल्ली के उच्च न्यायालय के पंजीयक जनरल [अरुण मिश्रा, जे.]

27. लेकिन आयोग जैसे कुछ परीक्षा अधिकारियों का मानना है कि स्केलिंग का उपयोग न केवल विभिन्न विषयों में एक सामान्य आधार खोजने की आवश्यकता है (जो विभिन्न विषयों में प्रदर्शन को एक सामान्य पैमाने पर ला रहा है), बल्कि परीक्षक की परिवर्तनशीलता को कम करने के लिए मॉडरेशन के विकल्प के रूप में भी किया जा सकता है (जहां विभिन्न परीक्षक संबंधित उत्तर लिपियों का मूल्यांकन करते हैं)।

उसी विषय पर) "।

13. संजय सिंह (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने जहां एक ही विषय के कई परीक्षक हैं, वहां उचित होने के लिए संयम निर्धारित किया है। यह भी देखा गया है कि जहां उम्मीदवारों की संख्या सीमित है और केवल एक परीक्षक मूल्यांकन करेगा, यह माना जाना चाहिए कि मूल्यांकन में एकरूपता होगी। यही वह जगह है जहाँ कई परीक्षक एक ही विषय का मूल्यांकन करते हैं। औसत अंकों और दिए गए अंकों की सीमा में अंतर होता है। एक 'बाज-कबूतर' प्रभाव होता है। कुछ परीक्षक उदार होते हैं और वे अधिक अंक प्रदान करते हैं; कुछ परीक्षक सख्त होते हैं और वे कम अंक देते हैं, इसे नियंत्रित किया जा सकता है। कठोरता और उदारता के स्तर में भिन्नता हो सकती है। इसे हटाने के लिए

व्यक्तिपरकता या परिवर्तनशीलता, कि संयम का प्रावधान अपनाया जाता है। तत्काल मामले में यह स्थिति नहीं है, इसलिए, संजय सिंह (ऊपर) का निर्णय याचिकाकर्ताओं की ओर से आग्रह किए गए संयम की याचिका को नकारता है। 14. संयम की याचिका के संबंध में, सुजाशा मुखर्जी बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा रखा गया है। का उच्च न्यायालय

पंजीयक और अन्य के माध्यम से कलकत्ता। (2015) 11 एससीसी 395। उक्त मामले में तीन परीक्षक थे अर्थात कई परीक्षक और संयम को नहीं अपनाया गया था। केवल पुनर्मूल्यांकन किया गया था। संयम के उचित तरीके का पालन नहीं किया गया जैसा कि संजय सिंह में देखा गया है।

(ऊपर)। 'बाज-कबूतर' सिंड्रोम को समाप्त करने के लिए औसत निशान की गणना नहीं की गई थी। प्रथम परीक्षक द्वारा दिए गए अंक अन्य की तुलना में कमोबेश अपरिवर्तित थे। उक्त संदर्भ में, इस न्यायालय ने सुजाशा मुखर्जी (उपरोक्त) मामले में टिप्पणी की हैः

" 11. संजय सिंह के अनुच्छेद 23 में परिकल्पित पुनर्मूल्यांकन वी. यू. पी. लोक सेवा आयोग (2007) 3 एस. सी. सी. 720 को प्रमुख परीक्षक/पेपर सेटर द्वारा किया जाना है, जो, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, वर्तमान मामले में अस्तित्व में नहीं है। प्रयास 'बाज-कबूतर' सिंड्रोम को समाप्त करने का होगा, और यह 'माध्य' की गणना करके और उसके बाद, [2018] 10 एस. सी. आर. को जोड़ने या काटने के लिए प्राप्त किया जाता है।

बोर्ड भर में, सभी उत्तर पुस्तिकाओं में। इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान मामले में ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि इस संबंध में काफी स्पष्ट रूप से संयम किया गया है।

द्वितीय परीक्षक का मूल्यांकन/अंकन और वह भी पेपर नं. II. अब तक जिन उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं का नए सिरे से पुनर्मूल्यांकन किया गया था, उनमें से औसतन 10 अंकों की कमी हुई है

जो, इसलिए, माध्य का गठन करता है। इसलिए, जहां तक अपीलार्थी का संबंध है, 18 अंकों की कटौती संयम के परिणामस्वरूप तार्किक या उचित नहीं है। हम यह भी सोचते हैं कि एक मध्यस्थ को एक लंबा और गंभीर विचार देना चाहिए इस अहसास पर उसके मूल्यांकन की शुद्धता से वह पाता है कि शीर्ष-अधिकांश उम्मीदवार संयम के कथित अभ्यास से अयोग्य हो जाता है। जैसा कि हम पहले ही ऊपर उल्लेख कर चुके हैं, 18 अंकों की कटौती करने के बजाय, यदि 15 अंक भी काटे गए होते, तो अपीलार्थी जिसने मॉडरेशन से पहले उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं और मॉडरेशन के बाद भी दूसरा उच्चतम अंक प्राप्त किया है, वह साक्षात्कार/वाइवा वॉस में बुलाए जाने के लिए योग्य होता। अपीलार्थी के साथ घोर अन्याय किया गया है। विद्वत खण्डपीठ को इस अन्याय के प्रति सचेत रहना चाहिए था क्योंकि उसके समक्ष विद्वत एकल न्यायाधीश का न्यायिक निर्धारण था। हम आगे कोई अवलोकन करने से बचेंगे। "

यह स्पष्ट है कि सुजाशा मुखर्जी (ऊपर) में विधि

संजय सिंह (ऊपर) में परिकल्पित राशन का पालन नहीं किया गया। जैसा कि इस न्यायालय ने हस्तक्षेप किया। हालाँकि, तत्काल मामले में क्योंकि यह विवादित नहीं है

केवल एक परीक्षक ने एक विषय के एक ही भाग का मूल्यांकन किया था। आर ने माना कि प्रक्रिया को शुरू करना आवश्यक नहीं था।

15. अब हम इस संबंध में दूसरी प्रस्तुति लेते हैं

उत्तर-लिपियों का संयोजन। यह कानून का तय प्रस्ताव है कि प्रावधान के अनुसार इसका आदेश नहीं दिया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश लोक सीई आयोग बनाम। मुकेश ठाकुर और अन्न। (2010) 6 एस. सी. सी. 759, न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों पर विचार किया है और कहा हैः

" 24. उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन का मुद्दा अब एकीकृत नहीं है।

इस न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और ए. एन. आर. में इस मुद्दे पर विस्तार से विचार किया था। वी. परितोष भूपेश कुरमारशेठ जिसमें इस न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि पुनर्मूल्यांकन के प्रावधान के अभाव में, एक आई. आई. ए. मलिक बनाम।

दिल्ली के उच्च न्यायालय के पंजीयक जनरल [अरुण मिश्रा, जे.]

इस आशय का निर्देश न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। न्यायालय ने आगे कहा कि नियमों/विनियमों में शामिल नीतिगत निर्णय को भी तब तक चुनौती नहीं दी जा सकती जब तक कि यह दिखाने के लिए आधार न हों कि नीति स्वयं कुछ वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः (एससीसी पीपी। 39-40 & 42 , पैरा 14 और 16)

" 14. ..... यह विशेष रूप से विधायिका के प्रांत और उसके प्रतिनिधि को यह निर्धारित करना है कि नीति के मामले के रूप में, क़ानून के प्रावधानों को कैसे सर्वोत्तम रूप से लागू किया जा सकता है और अधिनियम के उद्देश्यों और उद्देश्यों की प्रभावी उपलब्धि के लिए नियमों या विनियमों में कौन से ठोस और प्रक्रियात्मक उपायों को शामिल करना होगा।

XXXXX

16. ..... न्यायालय विधायिका और अधीनस्थ विनियमन बनाने वाले निकाय द्वारा विकसित नीति के विवेक पर निर्णय नहीं ले सकता है। यह एक बुद्धिमान नीति हो सकती है जो पूरी तरह से प्रभावी होगी। अधिनियम का उद्देश्य या इसमें कमी हो सकती है

प्रभावशीलता और इसलिए संशोधन और सुधार का आह्वान। लेकिन किसी नियम या विनियमन में शामिल नीति में कोई भी कमी इसे अधिकार से बाहर नहीं करेगी और न्यायालय इसे इस आधार पर खारिज नहीं कर सकता है कि उसकी राय में, यह एक बुद्धिमान या विवेकपूर्ण नीति नहीं है, बल्कि एक मूर्खतापूर्ण नीति है, और यह कि वह ऐसा नहीं करेगी।

वास्तव में अधिनियम के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए काम करता है।

25. इस दृष्टिकोण को इस न्यायालय द्वारा प्रमोद कुमार श्रीवास्तव बनाम मामले में अनुमोदित और भरोसा किया गया है और दोहराया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग, (2004) 6 एस. सी. सी. 714 ने निम्नानुसार अवलोकन कियाः (एससीसी पीपी। 717-18 , पैरा 7)

यह जांचना कि क्या किसी उम्मीदवार द्वारा दिए गए सभी उत्तरों की जांच की गई है और क्या प्रत्येक प्रश्न के कुल अंकों में कोई गलती हुई है और उन्हें सही ढंग से नोट करना उत्तर-पुस्तक के पहले आवरण पृष्ठ पर। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि जांच के बाद सामान्य विज्ञान के पेपर में अपीलार्थी को दिए गए अंकों में कोई गलती नहीं पाई गई।

अनुपस्थि

ति में [2018] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए किसी भी प्रावधान का

प्रासंगिक नियम, परीक्षा में किसी भी उम्मीदवार को कोई अधिकार नहीं है जो भी उसके अंकों के पुनर्मूल्यांकन का दावा या माँग करे।

(जोर

दिया गया)

डॉ. मुनीब-उल-रहमान में भी इसी विचार को दोहराया गया है। हारून (डॉ.) बनाम। सरकार. जम्मू और कश्मीर राज्य का (1984) 4 एस. सी. सी. 24;

माध्यमिक शिक्षा बनाम। प्रवास रंजन पांडा (2004) 13 एस. सी. सी. 383;

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड v. डी. शुभंकर (2007) 1 एससीसी 603; डब्ल्यू. बी. उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद बनाम अयान दास

(2007) 8 एस. सी. सी. 242; और साहिती बनाम। डॉ. एन. टी. आर. स्वास्थ्य विश्वविद्यालय

विज्ञान (2009) 1 एससीसी 599।

क़ानून या सांविधिक नियमों के तहत किसी भी प्रावधान का अभाव / विनियमों के अनुसार न्यायालय को आम तौर पर पुनर्मूल्यांकन का निर्देश नहीं देना चाहिए।

मुकेश ठाकुर (ऊपर) में यह निर्धारित किया गया था कि उनकी अनुपस्थिति में

पुनः मूल्यांकन के लिए प्रावधान का सहारा नहीं लिया जा सकता है और वे अवलोकन जो सी. पी. आई. एल. v. के मामले में किए गए थे। उच्च के महापंजीयक दिल्ली न्यायालय (ऊपर) ने यह निर्णय 2016 में परीक्षा आयोजित होने के बाद दिया था, इस प्रकार परीक्षा आयोजित होने के बाद पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान शुरू नहीं किया जा सकता था। हमारी राय में, जब परीक्षा आयोजित की गई थी, तो पुनर्मूल्यांकन के प्रावधान के अभाव में प्रश्नगत परीक्षा के लिए इसका सहारा नहीं लिया जा सकता था।

16. न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निर्धारित करने के सवाल पर आते हैं

मौखिक परीक्षा में, हमारी राय में यह इस न्यायालय द्वारा के. एच. सिराज बनाम में उचित रूप से देखा गया है। केरल उच्च न्यायालय और अन्य। (2006) 6 एससीसी 395 , वह साक्षात्कार उम्मीदवार की क्षमता का आकलन करने और क्षमता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है और न्यूनतम अंक भी निर्धारित किए जा सकते हैं। यदि कोई उम्मीदवार साक्षात्कार में विफल हो जाता है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वह मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की नौकरी के लिए उपयुक्त है। इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

“ 54. हमारी राय में, साक्षात्कार मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका है।

किसी विशेष पद के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता। जबकि

लिखित परीक्षा उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता की गवाही देगी। ज्ञान, केवल मौखिक परीक्षण ही उसके समग्र रूप को सामने ला सकता है या प्रकट कर सकता है

बौद्धिक और व्यक्तिगत गुण जैसे सतर्कता, साधनशीलता, निर्भरता, चर्चा की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता,

नेतृत्व आदि के गुण जो न्यायिक कार्य के लिए भी आवश्यक हैं।

अधिकारी।

आया मलिक बनाम। दिल्ली के उच्च न्यायालय के पंजीयक जनरल [अरुण मिश्रा, जे.]

55. हम उपयोगी रूप से लीला धार बनाम में इस न्यायालय के एक निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं। राजस्थान राज्य (1981) 4 एस. सी. सी. 159 जिसमें यह न्यायालय निम्नलिखित रूप में देखा गयाः

" सार्वजनिक सेवा में प्रवेश के लिए चयन की किसी भी प्रक्रिया का उद्देश्य संरक्षण और पक्षपात से बचते हुए नौकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे उपयुक्त व्यक्ति को सुरक्षित करना है। निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से परखी गई योग्यता के आधार पर चयन किसी भी उपयोगी और कुशल जनता के लिए आवश्यक आधार है

सेवा करते हैं। इसलिए, खुली प्रतियोगी परीक्षा को लगभग सार्वभौमिक रूप से जनता के प्रवेश द्वार के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है

सेवाएँ।

' भर्ती में आदर्श अन्याय को दूर करना है "।

(एससीसी पीपी। 162-63 , पैरा 4)

***

' भर्ती की एक प्रणाली जो लगभग पूरी तरह से किसी व्यक्ति के शैक्षणिक ज्ञान और कौशल के मूल्यांकन पर निर्भर करती है, जो किसी व्यक्ति की महत्वपूर्ण समस्याओं से निपटने की क्षमता से अलग है।

आर्थिक और सामाजिक विकास, लोगों के साथ, और नई स्थितियों के साथ आज की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है, कल से बहुत कम। हम सुझाव देते हैं कि भर्ती प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि हम उम्मीदवारों का चयन कर सकें।
जो केवल ज्ञान को आत्मसात नहीं कर सकते हैं और किसी स्थिति या समस्या के प्रभावों को समझने के लिए सामग्री की छान-बीन नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनमें मूल या नवीनता विकसित करने की क्षमता है।

समस्याओं के समाधान के लिए दृष्टिकोण "।

अब यह अच्छी तरह से माना जाता है कि एक लिखित परीक्षा एक उम्मीदवार के ज्ञान और बौद्धिक क्षमता का आकलन करती है, एक साक्षात्कार परीक्षा एक उम्मीदवार के समग्र बौद्धिक और व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए मूल्यवान है। जबकि लिखित परीक्षा का साक्षात्कार की तुलना में कुछ विशिष्ट लाभ होता है-परीक्षण अभी तक कोई लिखित परीक्षा नहीं है जो उम्मीदवार की पहल, सतर्कता, संसाधन, निर्भरता, सहयोगात्मकता, स्पष्ट और तार्किक प्रस्तुति के लिए क्षमता, चर्चा में प्रभावशीलता, बैठक में प्रभावशीलता और दूसरों के साथ व्यवहार, अनुकूलन क्षमता, निर्णय, करने की क्षमता का मूल्यांकन कर सके।

निर्णय, नेतृत्व करने की क्षमता, बौद्धिक और नैतिक अखंडता। (एससीसी p.163, पैरा5)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

***

' जबकि हम महसूस करते हैं कि साक्षात्कार के लिए आवंटित अंक उच्च पक्ष पर हैं और सरकार के लिए प्रश्न की पुनः जांच करना उचित हो सकता है, हम इस तर्क को बनाए रखने में असमर्थ हैं कि साक्षात्कार के लिए इतने उच्च अंक प्रदान करना सरकार की शक्ति के भीतर नहीं था या कि शक्ति का कोई मनमाना प्रयोग किया गया था। (एससीसी p.166, पैरा 9) "

56. मोहन कुमार सिंघानिया और ओआरएस में। वी. भारत संघ और ओआरएस। : ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 1, एस. रत्नवेल पांडियन, जे. ने पीठ की ओर से बोलते हुए कहाः (एस. सी. सी पी. 608 , पैरा 18-21)

" 18. हर्मार फिनर ने अपनी पाठ्यपुस्तक में शीर्षक द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट के तहत कहा हैः

' चरित्र के लिए चयन की समस्या अभी भी हर जगह सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती की प्रायिकता है।

उन्हें अपने जीवन और शिक्षा का अभिलेख प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। 20. इस संबंध में, एक का संदर्भ होना उचित है

सिविल पर संयुक्त राष्ट्र पुस्तिका से अंश

21. लीला धार बनाम में यह न्यायालय। राजस्थान राज्य (1981) 4 एस. सी. सी. 159 ने दो परीक्षणों, अर्थात् लिखित और साक्षात्कार के महत्व और महत्व के बारे में विचार व्यक्त करते हुए कहा हैः (एससीसी p.164, पैरा 6)

(एलिक वी. द रेजिस्ट्रार जनरल ऑफ द हाई

दिल्ली का न्यायालय [अरुण मिश्रा, जे.]

' ..... लिखित परीक्षा आदमी की बुद्धि का आकलन करती है और साक्षात्कार आदमी का स्वयं परीक्षण करता है और दोनों को

'एक उचित चयन के लिए' से मिलें। "

57. वे गुण जो एक न्यायिक अधिकारी के पास होंगे दिल्ली बार एसोसिएशन बनाम में इस न्यायालय द्वारा चित्रित किए गए हैं।

भारत संघ (2002) 10 एस. सी. सी. 159. एक न्यायिक अधिकारी

शैक्षणिक ज्ञान के अलावा, अपने विचारों को संप्रेषित करने की क्षमता होनी चाहिए, उसे चतुर होना चाहिए, उसे राजनयिक होना चाहिए, उसके पास हास्य की भावना होनी चाहिए, उसके पास स्थितियों को शांत करने की क्षमता होनी चाहिए, गवाहों की परीक्षा को नियंत्रित करने की क्षमता होनी चाहिए और लंबी अप्रासंगिक दलीलें भी होनी चाहिए। ऐसी क्षमताओं के अस्तित्व को केवल मौखिक साक्षात्कार में ही सामने लाया जा सकता है। यह आवश्यक है कि केवल वे लोग जिनके साथ

न्यायपालिका के लिए कम से कम ऐसी क्षमताओं का चयन किया जाना चाहिए अन्यथा मानक कमजोर हो जाएंगे और

न्यायपालिका में घटिया चीजें आ सकती हैं।

अपीलार्थियों/याचिकाकर्ताओं के तर्क को स्वीकार करने से यह अभिधारणा भी हो सकती है कि एक उम्मीदवार जो लिखित परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करता है लेकिन नौकरी के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है जैसा कि मौखिक साक्षात्कार से स्पष्ट है और 0 अंक प्राप्त करता है, उसे अभी भी न्यायपालिका में जगह मिल सकती है। यह तबाही मचा देगा। अधीनस्थ द्वारा बनाए रखे जाने वाले मानकों के लिए

न्यायपालिका। इसलिए, उच्च न्यायालय ने मौखिक साक्षात्कार के लिए एक बेंचमार्क निर्धारित किया है, जो वास्तव में कम है।

क्योंकि पास होने के लिए 30 प्रतिशत की आवश्यकता होती है। साक्षात्कार के लिए कुल 450 में से केवल 50 अंक हैं। इसलिए, प्रिस्क्रिप्शन को न्यूनतम रखा जाता है और यदि कोई उम्मीदवार है इस न्यूनतम को भी सुरक्षित करने में विफल रहता है, यह नहीं हो सकता है

उसने अभिनिर्धारित किया कि वह उच्च न्यायालय के पाँच अनुभवी न्यायाधीशों द्वारा मूल्यांकन किए गए मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के पद के लिए उपयुक्त है।

हमारी सुविचारित राय है कि यह वांछनीय है कि साक्षात्कार के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निर्धारित किए जाएं।

एकरूपता आ न्यायपालिकाक मानककेँ त्रुटिपूर्ण करबाक वास्तविक कार्यशील ज्ञान आ क्षमतासँ समझौता होयबाक संभावना छैक।परीक्षण केवल शैक्षणिक ज्ञान का परीक्षण करता है, जो कि समग्र गुणों, [2018] 10 एस. सी. आर. के व्यावहारिक अनुभव के बिना है।

व्यवहार और कानून। लिखित परीक्षा में, बिना क्षमता वाला व्यक्ति भी, जो जोर-जोर से निर्णय लेता है, बेहतर अंक प्राप्त कर सकता है। जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कार्य निष्पादन और बुद्धि का निर्णय करके की जाती है, तो न्यायिक पद के लिए एक साक्षात्कार अनिवार्य होगा। के रूप में अंततः, वे जनता को न्याय प्रदान करने के लिए अधीनस्थ और उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की कुर्सी को सुशोभित करने के लिए भी आते हैं, 7 वर्षों के प्रत्यक्ष भर्ती के लिए अभ्यास के अनुभव के मानदंड, चाहे वास्तव में प्राप्त किए गए हों, केवल साक्षात्कार, संचार कौशल और कुछ पहलुओं की व्याख्या द्वारा निर्णय लिया जा सकता है जो संभव नहीं होगा

केवल लिखित परीक्षा। सिराज (उपरोक्त) में, इस बात पर जोर दिया गया था कि साक्षात्कार उम्मीदवार की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए मुख्य आधार है।

उच्च न्यायपालिका में जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति। हमारी राय में यह बिल्कुल आवश्यक है। जब हम पहले की प्रथा पर विचार करते हैं जब लिखित परीक्षा निर्धारित नहीं की गई थी, तो उच्च न्यायालय केवल साक्षात्कार के तरीके से उच्च न्यायपालिका के लिए उम्मीदवारों का चयन करता था। अब लिखित परीक्षा के अतिरिक्त सुरक्षा उपाय जोड़े गए हैं। उच्च न्यायपालिका के पद के लिए साक्षात्कार का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है कि अयोग्य तत्वों/भीड़ को बाहर करना बिल्कुल आवश्यक है और हमारी सुविचारित राय में न केवल उचित है बल्कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निर्धारित करना भी बिल्कुल आवश्यक है ताकि अयोग्य तत्व को बाहर निकाला जा सके ताकि भूसी से अनाज को अलग किया जा सके। एक न्यायाधीश के लिए आवश्यक अनुभव होने के बीच एक बड़ा अंतर है जिसे केवल लिखित प्रदर्शन के आधार पर निर्णय नहीं दिया जा सकता है, और जिसके लिए समग्र व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता परीक्षण होता है।

बिल्कुल आवश्यक है। इसके बिना ऐसा करना उचित नहीं होगा

न्यायपालिका में नियुक्तियाँ। इस प्रकार हमारी राय में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के प्रिस्क्रिप्शन को अनावश्यक नहीं कहा जा सकता है। केवल इस तथ्य से कि कुछ और पद विज्ञापित किए गए थे और वे खाली पड़े हैं, यह साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंकों में ढील देने का आधार नहीं हो सकता था क्योंकि साक्षात्कार पहले ही हो चुका है। ऐसा करना उचित नहीं होता और उच्च न्यायालय ने अपने उत्तर में मौखिक परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों में ढील देने पर आपत्ति जताई है और चूंकि ढील देने की शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना है और चूंकि उसने उचित आधार पर इस तरह के अनुरोध और इस तरह के प्रिस्क्रिप्शन के पीछे संस्थागत उद्देश्य का विरोध किया है, इसलिए हम उच्च न्यायालय को न्यूनतम अंकों में ढील देने का निर्देश देने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

18. यह आग्रह किया गया कि 64 उम्मीदवारों में से केवल एक उम्मीदवार साक्षात्कार में विफल रहा है। यह, वास्तव में, पूर्वाग्रह को नहीं दर्शाता है, बल्कि तानिया मलिक बनाम है।

दिल्ली के उच्च न्यायालय के पंजीयक जनरल [अरुण मिश्रा, जे.]

इस तथ्य का संकेत है कि याचिकाकर्ता का प्रदर्शन ऐसा था कि समिति के सबसे उदार होने के बावजूद, उसे उक्त को न्यूनतम उत्तीर्ण अंक भी देना उचित नहीं लगा। उम्मीदवार। हमारी राय में, समिति द्वारा अंक प्रदान करना अनुचित नहीं कहा जा सकता है। किसी भी द्वेष को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है; इस प्रकार हम उपरोक्त आधार पर हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं पाते हैं। अजितकुमार (ऊपर) पर निर्भरता रखी गई है जिसमें आयोग ने ढील दी है।

कट ऑफ अंकों में से अंक प्राप्त करने वाले विभिन्न आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को बुलाने के लिए मानदंड। इस न्यायालय ने कहा है कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के संबंध में कट ऑफ अंकों में ढील देने के सेवा आयोग के फैसले को चुनौती देने में पहले सफल नहीं हो सका था।

मुकदमे का दौर। नियमों द्वारा शासित नहीं होने वाली प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ अंकों में छूट दी गई थी। नियमों में तत्काल मामले में, न्यूनतम कटौती निर्धारित की जाती है। इसमें ढील नहीं दी जा सकती थी और इसके अलावा, छूट नीति का विषय है और समग्र परिस्थितियों को देखते हुए, साक्षात्कार के महत्व, आराम न करने के निर्णय को अनुचित नहीं कहा जा सकता है। इस निर्णय का कोई उपयोग नहीं है। 19. अन्यथा भी याचिकाकर्ताओं ने लिखित और मौखिक परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ अंकों की शर्त के साथ परीक्षा ली है।

और फिर असफल होने के बाद, वे मुड़ नहीं सकते हैं और इसके विपरीत संघर्ष करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। के. सिराज (ऊपर) मामले में इस अदालत ने कहा है कि जब

उम्मीदवारों ने साक्षात्कार में इस ज्ञान के साथ भाग लिया कि चयन के लिए उन्हें निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों को पार करना होगा, साक्षात्कार में असफल होने पर, वे पलट नहीं सकते और चुनौती नहीं दे सकते कि न्यूनतम अंकों का प्रिस्क्रिप्शन अनुचित था। जैसा कि के. एच. सिराज (ऊपर) में देखा गया है, उन्हें इसका विरोध करने के लिए इस प्रकार चुना गया हैः

" 72. अपीलार्थी/याचिकाकर्ता, किसी भी स्थिति में, एक से अधिक कारणों से भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं। उन्होंने लिखित परीक्षा में भाग लिया था और

बिना कोई आपत्ति उठाए मौखिक परीक्षण। वे उच्च न्यायालय की अधिसूचना से अच्छी तरह से जानते थे कि लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा दोनों में न्यूनतम अंक प्राप्त करने होते हैं। वे रेमानी बनाम में रिपोर्ट किए गए न्यायिक पक्ष पर उच्च न्यायालय के फैसले से भी अवगत थे। केरल उच्च न्यायालय 1996 (2) के. एल. टी 439। यह मामला वाइवा वॉयस टेस्ट के लिए 30 प्रतिशत के न्यूनतम योग्यता अंकों के प्रिस्क्रिप्शन से संबंधित है। उपरोक्त निर्णय में सी. एस. राजन, जे. ने कहा कि

इसके अंतर्गतः (केएलटी पीपी। 441-42 , पैरा 5)

वाइवा वॉयस टेस्ट के लिए अंक कानून में खराब हैं क्योंकि नियमों के तहत कोई न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित नहीं किए गए थे। उच्च न्यायालय ने पी. के. रामचंद्र अय्यर के मामले (1984) 2 एस. सी. सी. 141 और उमेश चंद्र के मामले (सुप्रा) पर भी भरोसा किया।

73. अपीलकर्ताओं/याचिकाकर्ताओं ने इस पृष्ठभूमि में साक्षात्कार में भाग लिया है, यह अपीलकर्ताओं/याचिकाकर्ताओं के लिए खुला नहीं है कि वे साक्षात्कार में विफल होने के बाद वापस आएं और तर्क दें कि साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंक का प्रावधान उचित नहीं था। इस न्यायालय ने मदन लाल और अन्य के पैराग्राफ 9 में ऐसा अभिनिर्धारित किया था। वी. जम्मू और कश्मीर राज्य [1995] 3 एस. सी. सी. 486 निम्नानुसार हैः (एससीसी p.493)

" 9. इस विवाद पर विचार करने से पहले, हमें इस मुख्य तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ चुनाव लड़ने वाले सफल उम्मीदवार जो इसमें संबंधित उत्तरदाता हैं, सभी में प्राप्त अंकों के आलोक में पात्र पाए गए थे

लिखित परीक्षा, मौखिक साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के योग्य होने के लिए। इस स्तर तक दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं है। द.

याचिकाकर्ता आयोग के संबंधित सदस्यों द्वारा आयोजित मौखिक साक्षात्कार में भी उपस्थित हुए, जिन्होंने याचिकाओं के साथ-साथ संबंधित प्रतिवादियों का भी साक्षात्कार लिया। इस प्रकार याचिकाकर्ताओं ने उक्त मौखिक साक्षात्कार में खुद को चुनने का मौका लिया। केवल इसलिए कि वे लिखित परीक्षा और मौखिक साक्षात्कार दोनों में अपने संयुक्त प्रदर्शन के परिणामस्वरूप सफल नहीं हुए, उन्होंने यह याचिका दायर की है। अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि यदि कोई उम्मीदवार एक परिकलित मौका लेता है और उपस्थित होता है साक्षात्कार , तब, केवल इसलिए कि साक्षात्कार का परिणाम उन्हें रुचिकर नहीं है, वह मुड़ नहीं सकता है और बाद में यह तर्क नहीं दे सकता है कि साक्षात्कार की प्रक्रिया अनुचित थी या चयन तानिया मलिक बनाम।

दिल्ली के उच्च न्यायालय के पंजीयक जनरल [अरुण मिश्रा, जे.]

समिति का गठन ठीक से नहीं किया गया था। ओम प्रकाश शुक्ला बनाम के मामले में। अखिलेश कुमार शुक्ला 1986 के अतिरिक्त एस. सी. सी. 285, इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि जब याचिकाकर्ता बिना किसी सुरक्षा के परीक्षा में उपस्थित हुआ और जब उसे पता चला कि वह परीक्षा में सफल नहीं होगा तो उसने उक्त परीक्षा को चुनौती देते हुए याचिका दायर की, तो उच्च न्यायालय को कोई भी अनुमति नहीं देनी चाहिए थी।

ऐसे याचिकाकर्ता को राहत "।

74. इसलिए, अपीलार्थियों/याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए कि इस न्यायालय के उपरोक्त फैसले को देखते हुए स्थगन सही है। इसके विपरीत धारण करने वाला उच्च न्यायालय का निर्णय बिना किसी संदर्भ के है

उपरोक्त निर्णय "।

20. अंकों को पूरा करने के सवाल के संबंध में, हमारी राय में, जब पात्रता के लिए एक विशेष समुच्चय निर्धारित किया जाता है, तो एक व्यक्ति

बिना किसी छूट के मानदंडों को पूरा करना चाहिए। न्यूनतम समुच्चय बनाने के लिए राउंड ऑफ विधि द्वारा अंकों को बढ़ाने की अनुमति नहीं है। 21. यह न्यायालय, पंजीयक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर बनाम जी. हेमलता और अन्य में। , (2012) 8 एस. सी. सी. 568, जिसे एम. एस. सी. में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्यता परीक्षा के संबंध में पात्रता मानदंडों को पूरा करने की अनुमति नहीं है

(नर्सिंग)। उड़ीसा लोक सेवा में दिए गए निर्णय पर निर्भर

आयोग और ए. एन. आर. बनाम रूपश्री चौधरी और अन्र। , (2011) 8 एस. सी. सी. 108, इस न्यायालय ने कहाः

" 8. उड़ीसा लोक सेवा आयोग और अन्र में। वी. रूपश्री चौधरी और अन्र। (2011) 8 एस. सी. सी. 108 इस न्यायालय ने कुछ इसी तरह की तथ्य स्थिति में विचार किया कि क्या पात्रता राउंडिंग-ऑफ की विधि से मानदंडों में ढील दी जा सकती है। उड़ीसा लोक सेवा आयोग ने आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन प्रकाशित किया

उड़ीसा न्यायिक के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों से आवेदन

सिविल जज (जे. डी.) के 77 पदों को भरने के लिए सीधी भर्ती के लिए सेवा परीक्षा, 2009। विज्ञापन के अनुसार, उसमें पहले उत्तरदाता ने उक्त पद के लिए आवेदन किया। उन्होंने प्रारंभिक लिखित परीक्षा दी। वह उक्त परीक्षा में सफल रही। इसके बाद उन्होंने मुख्य लिखित परीक्षा दी। सफल उम्मीदवारों की सूची, जो साक्षात्कार के लिए पात्र थे,

प्रकाशित जिसमें पहले उत्तरदाता का नाम नहीं था।

उन्होंने मार्कशीट प्राप्त की। उसने महसूस किया कि उसने कुल मिलाकर 750 में से 337 अंक यानी 44.93% अंक प्राप्त किए हैं और

प्रत्येक विषय में 33 प्रतिशत से अधिक अंक।

9. उड़ीसा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस एंड उड़ीसा ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स, 2007 (संक्षेप में "उड़ीसा रूल्स") के नियम 24 के अनुसार, जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा में कुल मिलाकर 45 प्रतिशत से कम और प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 33 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं, उन्हें वाइवा के लिए बुलाया जाना चाहिए। वॉयस टेस्ट। चूंकि उसमें पहले उत्तरदाता ने कुल मिलाकर 44.93% अंक प्राप्त किए थे, इसलिए उन्हें साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा के लिए नहीं बुलाया गया था।

पहले प्रतिवादी ने उड़ीसा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश की अपील इस न्यायालय में की गई थी।

10. उड़ीसा नियमों पर विचार करने के बाद, रूपश्री चौधरी मामले (2011) 8 एस. सी. सी. 108 में इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि उसका नियम 24

यह स्पष्ट किया कि

" लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होते हैं और मुख्य परीक्षा में सभी लिखित पेपरों में कुल मिलाकर 45 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त नहीं करने होते हैं। (एस. सी. सी पी. 111, पैरा 10)

इस न्यायालय ने कहा कि जब नियम में जोर दिया जाता है

प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम अंकों तक, कोई छूट या राउंड-ऑफ नहीं हो सकता है। यह देखा गया कि कोई शक्ति नहीं थी

कानून/नियमों में इस तरह के किसी भी राउंड-ऑफ या अनुग्रह अंक देने की अनुमति दी गई है। यह स्पष्ट किया गया था किः (एस. सी. सी पी. 112, पैरा 10)

" 10 ..... [उड़ीसा] नियम वैधानिक प्रकृति के हैं और इन नियमों का लाभ देने के लिए उक्त वैधानिक नियमों में कुछ शब्द जोड़कर ऐसे नियमों को कमजोर या संशोधित करने की अनुमति नहीं है या संभव नहीं है।

गोल-बंद या विश्राम "।

11. हमारी राय में, इस फैसले का अनुपात इस मामले के तथ्यों पर स्पष्ट रूप से लागू होता है। वाणी पति त्रिपाठी बनाम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का निर्णय। महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण और अन्य। ए. आई. आर. 2003 सभी 164 और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण

पीठ का फैसला, कानूनी सहायक, पंजाब वित्तीय निगम बनाम. पंजाब राज्य और अन्य। (1997) 117 पी. एल. आर. 1, तानिया मलिक बनाम से पहले उद्धृत किया गया था।

दिल्ली के उच्च न्यायालय के पंजीयक जनरल [अरुण मिश्रा, जे.]

हम क्योंकि वे एक ही दृष्टिकोण लेते हैं। हालाँकि, उड़ीसा लोक सेवा में इस न्यायालय के आधिकारिक निर्णय को देखते हुए आयोग (ऊपर), हमारे लिए उक्त पर चर्चा करना आवश्यक नहीं है

निर्णय लेते हैं।

12. हमें किसी भी कानून या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम का कोई प्रावधान नहीं दिखाया गया है, जो पात्रता को पूरा करने की अनुमति देता है।

एम. एस. सी. (नर्सिंग) में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्यता परीक्षा के लिए निर्धारित मानदंड। जब योग्यता परीक्षा में पात्रता मानदंड निर्धारित किए जाते हैं, तो इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इसे कमजोर करने या छेड़छाड़ करने से अन्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने 54.71% से 55% तक राउंड-ऑफ करना सही था ताकि प्रत्यर्थी 1 को पीजी में प्रवेश के लिए पात्र बनाया जा सके

बेशक। इस तरह के राउंड-ऑफ की अनुमति नहीं है "।

22. इस प्रकार न्यूनतम कुल अंकों को प्राप्त करने की आवश्यकता को देखते हुए राउंडिंग ऑफ विधि के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सका। तत्काल मामले में साक्षात्कार के लिए।

23. यह सवाल किया जा रहा है कि क्या लिखित परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ अंकों को 40 प्रतिशत से घटाकर 33 प्रतिशत किया जाना चाहिए और क्या हमें इस आधार पर हस्तक्षेप करना चाहिए कि एक व्यक्ति के रूप में जिसने उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं, वह एक अंक के संकीर्ण अंतर से एक पेपर को पास नहीं कर सका। यह भी आग्रह किया गया कि सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया है और क्योंकि वह न्यूनतम प्रतिशत पास नहीं कर सका है

लिखित पत्र में से एक में और कुल मिलाकर कम अंक रखने वाले व्यक्तियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। हमारी राय में न्यूनतम-उत्तीर्ण अंक प्रत्येक पेपर में निर्धारित किया जा सकता था और यह बिल्कुल आवश्यक है ताकि विभिन्न विषयों में शैक्षणिक ज्ञान का निर्धारण किया जा सके।

केवल सामान्य ज्ञान और भाषा के पेपर में उच्चतम अंक प्राप्त करने से मदद नहीं मिलने वाली है। अन्य विषयों, सिविल और आपराधिक कानून में न्यूनतम ज्ञान भी आवश्यक था और यह इसके विपरीत भी सच है, और यही कारण है कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निर्धारित किए गए थे और 40 प्रतिशत का निर्धारण काफी उचित और उचित था और इस न्यायालय के लिए इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। हम लिखित पत्रों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निर्धारित करने में कोई गलती नहीं पाते हैं। यह किसी में भी हो सकता है

यह जाँच कि एक व्यक्ति जिसका कुल योग बेहतर है, उचित नहीं हो सकता है अच्छी तरह से एक पेपर में और 'विफल' घोषित किया जा सकता है। यह छूट का आदेश देने या मूल्यांकन [2018] 10 एस. सी. आर. की शुद्धता पर संदेह करने का आधार नहीं हो सकता है।

प्रक्रिया। जब हमें एक उम्मीदवार के अंक दिखाए गए जो सुरक्षित हो गया

उच्चतम अंकों के साथ, यह स्पष्ट हो गया कि पेपर सामान्य ज्ञान और भाषा में उम्मीदवार का प्रदर्शन सिविल और आपराधिक पेपरों में प्रदर्शन की तुलना में कहीं बेहतर था। इस प्रकार जब एक एकल परीक्षक ने मूल्यांकन किया है, तो सभी उम्मीदवारों के लिए एक ही मापदंड लागू किया गया है। हम द्वारा आग्रह किए गए विभिन्न आधारों पर हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाते हैं

याचिकाकर्ता। 24. हम दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से विद्वान वकील द्वारा बताए गए रिकॉर्ड पर रखते हैं कि सीपीआईएल (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय में इस न्यायालय द्वारा दिए गए सुझावों को बाद के लिए लागू किया गया है।

2016 की परीक्षाएँ।

25. परिणामस्वरूप, हमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है। योग्यता से रहित होने के कारण रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है। कोई लागत नहीं।

अंकित ज्ञान

लिखित

याचिकाएँ खारिज कर दी गईं।